न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी. बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 01/2019 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)

GCMS NO : 2019/00008

अनवान

1. श्री अम्बालाल पिता उदाजी, निवासी–बरोठी, बाड़ी घाटी, परसाद, तहसील–सराड़ा, जिला उदयपुर।
2. श्री पांचाराम पिता उदाजी, निवासी–बरोठी, बाड़ी घाटी, परसाद, तहसील–सराड़ा, जिला उदयपुर।
3. श्री भेरूलाल पिता उदाजी, निवासी–बरोठी, बाड़ी घाटी, परसाद, तहसील–सराड़ा, जिला उदयपुर।
4. श्री रोशनलाल पिता उदाजी, निवासी–बरोठी, बाड़ी घाटी, परसाद, तहसील–सराड़ा, जिला उदयपुर।
5. श्री हरीश पिता बसन्तीलाल मीणा, निवासी बरोठी, बाड़ी घाटी, परसाद, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर।
6. श्री नन्दलाल पिता बसन्तीलाल मीणा, निवासी बरोठी, बाड़ी घाटी, परसाद, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर।
7. श्री ईश्वरलाल पिता बसन्तीलाल मीणा, निवासी बरोठी, बाड़ी घाटी, परसाद, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर।
8. श्री सोहनलाल पिता बसन्तीलाल मीणा, निवासी बरोठी, बाड़ी घाटी, परसाद, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर।
9. श्री अर्जुनलाल पिता बसन्तीलाल मीणा, निवासी बरोठी, बाड़ी घाटी, परसाद, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर।
10. श्रीमती लक्ष्मी देवी पति बसन्तीलाल मीणा, निवासी बरोठी, बाड़ी घाटी, परसाद, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री प्रभुलाल पिता सवजी मीणा, निवासी बरोठी, बाड़ी घाटी, परसाद, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर।
2. श्री चम्पालाल पिता सवजी मीणा (फोत) के बजाय

2/1. श्रीमती शान्ता पत्नी श्री चम्पालाल मीणा, निवासी बरोठी, बाड़ी घाटी, परसाद, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर।

2/2. सुश्री ममता पुत्री स्व. श्री चम्पालाल मीणा, निवासी बरोठी, बाड़ी घाटी, परसाद, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.10.05 11:45:52 IST
Reason: SelfAttested

2/3. सुश्री गुडिया (उम्र 15 वर्ष नाबालिग) पुत्री स्व. श्री चम्पालाल मीणा, निवासी बरोठी, बाड़ी घाटी, परसाद, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर जरिये माता श्रीमती शान्ताबाई।

2/4. करण (उम्र 10 वर्ष नाबालिग) पुत्र स्व. श्री चम्पालाल मीणा, निवासी बरोठी, बाड़ी घाटी, परसाद, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर जरिये माता श्रीमती शान्ताबाई।

2/5. निकी (उम्र 07 वर्ष नाबालिग) पुत्र स्व. श्री चम्पालाल मीणा, निवासी बरोठी, बाड़ी घाटी, परसाद, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर जरिये माता श्रीमती शान्ताबाई।

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सराड़ा, जिला–उदयपुर।

— विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री रमेश नंदवाना, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री आलोक जैन, अधिवक्ता विपक्षीगण
3. श्री कल्पित जैन, राजकीय अधिवक्ता।

_प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने_

*** _निर्णय_ ***

दिनांक 30-09-2021

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया कि मौजा बरोठी, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर मे आराजी संख्या 1090 रकबा 0.14 हेक्टेयर, आराजी संख्या 1091 रकबा 0.02 हेक्टेयर, आराजी संख्या 1092 रकबा 0.20 हेक्टेयर, कुल किता 3 रकबा 0.36 हेक्टेयर की कृषि भूमि का आवंटन विपक्षी संख्या 1 से 2 के नाम दिनांक 13.12.2010 को किया गया। आराजी नंबर 1090, 1091, 1092 के साबिक नंबर 2276 होना दर्शाया गया है, लेकिन हकीकत में आराजी नंबर 1090, 1091, 1092 आराजी नंबर 2302 मीन के हिस्सा 2302/1–क से बने है। सेटलमेन्ट विभाग की गलती के कारण नम्बरों का हेर–फेर हुआ है। आराजी संख्या 2302/1–क का आवंटन प्रार्थी संख्या 1 से 4 के पिता, प्रार्थी संख्या 5 से 9 के दादा एवं 10 के ससुर श्री उदा के नाम वर्ष 1965 में हुआ है। आवंटन के बाद 20 वर्ष तक जमाबन्दी में प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी श्री उदा का नाम राजस्व रेकर्ड मे अंकित रहा, लेकिन संवत् 2040 से 2041 में सेटलमेन्ट के दौरान प्रार्थीगण के पूर्वज उदा के नाम आंवटित भूमि का सेटलमेन्ट विभाग द्वारा साबिक नंबर बदल कर साबिक नम्बर 2276 अंकित कर दिया, जिससे भूमि बिलानाम घोषित कर दी गई। स्व. श्री उदा के नाम आवंटित भूमि आराजी संख्या 2302/1–क को नक्शे से ही गायब कर दिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.10.05 11:45:52 IST
Reason: SelfAttested

गया हैं। श्री उदा के नाम आवंटित भूमि पर वर्तमान मे प्रार्थीगण का कब्जा हैं। पटवारी हल्का एवं राजस्व विभाग से मिलीभगत कर विपक्षी संख्या 1 व 2 ने उक्त भूमि का आवंटन करा लिया। कथित आवंटन प्रशासन गांव के संग अभियान 2010 मे किया गया हैं। आवंटन से पूर्व कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई एवं न ही सार्वजनिक स्थल पर चस्पा की गई। विपक्षीगण के पिता पी.डब्ल्यु.ड़ी. मे कर्मचारी थे तथा दोनो विपक्षीगण सद्भावी कृषक नहीं थे। विपक्षीगण की खातेदारी मे पहले से कृषि भूमि स्थित है, जिसका उल्लेख जानबुझकर विपक्षीगण द्वारा आवेदन मे नहीं किया गया हैं। उक्त आवंटन की जानकारी प्रार्थीगण को विपक्षीगण द्वारा सहायक कलक्टर सराड़ा मे स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत करने पर हुई। अतः उक्त आवंटन नियम विरूद्ध होने से राजस्व ग्राम बरोठी, तहसील सराड़ा की आराजी संख्या 1090, 1091 एवं 1092 कुल रकबा 0.36 हेक्टेयर पर विपक्षीगण के पक्ष मे किये गये आवंटन को खारिज किया जावें।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री आलोक जैन द्वारा वकालात पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया कि आराजी संख्या 1090, 1091 एवं 1092 के साबिक नंबर 2276 होना दर्शाया गया है, जो सही है। प्रार्थीगण का यह कहना कि उक्त आराजी 2302 मीन के हिस्सा 2302/1–क से बने है गलत है। यदि प्रार्थीगण कथित आराजी संख्या 1090, 1091 एवं 1092 की 2302/1–क से बनना समझते है तो उन्हे सक्षम न्यायालय मे वाद लाकर राजस्व रेकर्ड मे सेटलमेन्ट विभाग द्वारा की गई गलती को सुधारना चाहिए। प्रार्थना पत्र मे यह अभिवचन लिख देने मात्र से राजस्व रेकर्ड को नही बदला जा सकता है। आराजी संख्या 2302/1–क की कृषि भूमि का आवंटन प्रार्थीगण के पिता अथवा दादा को हुआ होगा इससे विपक्षीगण का कोई लेना–देना नही है। विपक्षीगण को आराजी संख्या 1090, 1091 एवं 1092, जिसके साबिक नंबर 2276 है, भूमि आवंटित हुई है एवं विपक्षीगण का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण द्वारा बिना वाद दायर कराये एवं बिना इन्द्राज दुरस्त कराये किसी प्रकार की सहायता प्राप्त नही कर सकता है। यदि आराजी संख्या 2302/1–क को नक्शे गायब कर दिया गया है तो प्रार्थीगण को उसे पुनः नक्शे मे लाने के लिए सक्षम न्यायालय मे वाद दायर करना पड़ेगा। विपक्षीगण को आंवटित भूमि से प्रार्थीगण का कोई संबध सरोकार नही है। इस भूमि बाबत् प्रार्थीगण द्वारा घोषणा एवं कब्जेयाबी का वाद विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर रखा है, जिसमे आराजी संख्या 2302/1–क के नये नंबर 1414 बनना पाया है। इस प्रकार इस न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे विरोधाभाषी तथ्य होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रचलित विधि प्रक्रिया अपनाते हुये कथित भूमि का आवंटन विपक्षीगण को किया गया है एवं आवंटनान्तरान्त आवंटन शर्तों की पालना करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.10.05 11:45:52 IST
Reason: SelfAttested

के फलस्वरूप विपक्षीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है एवं कानूनन खातेदारी भूमि को निरस्त कराने के लिए प्रार्थीगण को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत कार्यवाही करनी चाहिए। प्रार्थीगण द्वारा बार–बार हमारी भूमि मे हस्तक्षेप करने से स्थाई निषेधाज्ञा का वाद सक्षम न्यायालय मे हमारे द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमे सक्षम न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। प्रार्थीगण द्वारा झूठे तथ्यों के आधार पर कथित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण स्ट्रेन्जर व्यक्ति है एवं उनका कथित भूमि से कोई लेना देना नही है। स्ट्रेन्जर व्यक्ति को यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावें एवं कथित आवंटन को यथावत रखा जावे।

प्रकरण मे तहसीलदार सराड़ा से मौके की स्थिति की रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार सराड़ा द्वारा पत्र क्रमांक 525 दिनांक 08.05.2019 से प्रेषित मौका रिपोर्ट मे अवगत कराया कि आराजी संख्या 1090 रकबा 0.1500 हेक्टेयर एवं आराजी संख्या 1089 रकबा 0.1100 हेक्टेयर बिलानाम होकर पड़त है, जिस पर प्रार्थी संख्या 1 से 10 द्वारा स्वयं का कब्जा होना बतया गया एवं आराजी संख्या 1091 रकबा 0.0200 हेक्टेयर, आराजी संख्या 1092 रकबा 0.2000 हेक्टयर भूमि प्रभुलाल, चम्पालाल पुत्र सवाजी मीणा के खातेदारी होकर इनके निवास व कब्जा काश्त है। आराजी संख्या 6511/1090 रकबा 0.1400 हेक्टेयर मूल आराजी संख्या 1090 से आवंटन होकर नया नंबर बना है। जो प्रतिवादीगण के कब्जे होकर इन्ही का कब्जा काश्त है। तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सराड़ा से आंवटन से संबधित मूल पत्रावली संख्या 58/2010 तलब की जाकर प्रकरण मे बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि का उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक उपस्थित हुये। बहस प्रांरभ करते हुये प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों का दोहराते हुये कथित भूमि पर प्रार्थीगण का पुराना कब्जा होना, कथित आराजी साबिक नंबर 2276 के बजाय 2302/1–क से बनना, सेटलमेंट विभाग की गलती से भूमि बिलानाम दर्ज होना, आराजी संख्या 2302/1–क का नक्शे से गायब होना, उद्घोषणा जारी न होना, आवंटन से पूर्व ओक्यूपाईड एवं अनओक्यूपाईड भूमि की सूची तैयार न होना, आवंटन मे मिसरिप्रजेन्टेशन होना आदि आधारों पर विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त करने की मांग की।

विपक्षी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने बहस मे भाग लेते हुए अपने जवाब मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यों पर आधारित होना, प्रार्थीगण का संबध अन्य आराजी से होना, कथित आराजी साबिक आराजी संख्या 2276 से ही बनना, सेटलमेन्ट विभाग की गलती को सुधारने के लिए यह न्यायालय सक्षम न होना प्रार्थीगण द्वारा दस्तावेजी शहादत प्रस्तुत न करना, मौके पर विपक्षीगण का कब्जा होकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Bunkar
Date: 2021.10.05 11:45:52 IST
Reason: SelfAttested

मकान बना होना, सक्षम न्यायालय मे कब्जेयाबी के दावे मे प्रस्तुत तथ्य विरोधाभाषी होना, आवंटन मे पूर्णतया विधिक प्रक्रिया का अपनाया जाना अवगत कराया एवं अनुरोध किया कि विपक्षीगण को आवंटित कथित आराजी पर विपक्षीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है एवं खातेदारी अधिकार मिलने के पश्चात आवंटन निरस्त नही किया जा सकता है। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपने समर्थन मे निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये–

- आर.बी.जे. 2010 (17) पृष्ठ 157–161
- आर.आर.टी. 2017(1) पृष्ठ 480–486
- आर.आर.ड़ी 1988 पृष्ठ 689–690
- आर.आर.ड़ी 1987 पृष्ठ 371–372
- आर.आर.टी. 2018(1) पृष्ठ 299–306
- आर.आर.ड़ी 1997 पृष्ठ 195–196
- आर.आर.टी. 2018(2) पृष्ठ 1007–1010
- आर.बी.जे. 2008(15) पृष्ठ 435–440

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र, विपक्षी संख्या 1 व 2 के जवाब, तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट, आवंटन पत्रावली आदि का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गम्भीरता से मनन किया। उपखण्ड अधिकारी सराड़ा से प्राप्त आवंटन पत्रावली संख्या 58/2010 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विपक्षी संख्या 1 व 2 श्री प्रभुलाल, चम्पालाल पिता सवजी द्वारा मौजा बरोठी, तहसील सराड़ा की आराजी संख्या 1090 रकबा 0.1400 हेक्टेयर, 1091 रकबा 0.0200 हेक्टेयर एवं 1092 रकबा 0.2000 हेक्टेयर कुल किता 3 रकबा 0.3600 हेक्टेयर भूमि के आवंटन हेतु आवेदन करने पर पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की जांच उपरान्त जरिये आवंटन पत्रावली संख्या 58/2010 उक्त भूमि का आवंटन विपक्षी संख्या 1 व 2 को किया गया है। आवंटन पत्रावली में कोरम पर तहसीलदार, विकास अधिकारी, क्षेत्रीय विधायक, प्रधान, सरपंच के हस्ताक्षर मौजूद हो अध्यक्ष के रूप में प्रभारी अधिकारी प्रशासन गांवो के संग अभियान 2010 के हस्ताक्षर भी मौजूद है। आवंटन के उपरान्त दिनांक 29.12.2010 को कब्जा सुपुर्द किया जाना आवंटन पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है। आवंटन पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट मे आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि का की उद्घोषणा जारी होना एवं आवंटी का राज्य कर्मचारी न होना दर्शाया गया हैं। उक्त आवंटन मे कोई मिसरिप्रजेन्टेशन हुआ हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध [illegible] एवं भूमिधारक तहसीलदार की ओर से काई आपत्ति/आवंटन निरस्त करने हेतु कोई [illegible]ना नही की है। आवंटन प्रार्थना पत्र में कोई तथ्य छुपाये गये, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं [illegible] प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में विवादित

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.10.05 11:45:52 IST
Reason: SelfAttested

आराजी पर आवंटन के पूर्व से स्वयं का कब्जा होना अवश्य अवगत कराया है, किन्तु प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा इसकी पुष्टि हेतु न तो कोई पुरानी राजस्व रेकर्ड इत्यादि सलंग्न किया है और न ही धारा 91 के नोटिस आदि सलंग्न किये है, जिससे यह साबित हो सके की प्रार्थीगण का उक्त विवादित भूमि पर पुराना कब्जा विपक्षी सं. 1 व 2 को किये गये आवंटन के पूर्व से चला आ रहा हो। यदि प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर पुराना कब्जा होता तो उस पर अवश्य ही धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही की जाकर पेनाल्टी आरोपित की जाती, जिसकी रसीदे प्रार्थीगण के पास उपलब्ध होती, जो प्रार्थीगण का कब्जा साबित करती। प्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता कब्जे के संबंध में धारा 91, भू राजस्व अधिनियम 1956 की रसीदे प्रस्तुत करने मे असफल रहे हैं। विपक्षीगण वर्तमान मे उक्त भूमि पर खातेदार काश्तकार है। खातेदारी अधिकार आवंटन शर्तो की पालना के फलस्वरूप ही प्रदान किया जाते है। आवंटन उपरान्त आवंटन शर्तो की पालना न की गई हो ऐसा कोई दस्तावेज यथा खसरा गिरदावरी आदि भी प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के उपरान्त किसी भी खातेदार के आवंटन को निरस्त कर भूमि से बेदखल करना विधिसम्मत नही पाया जाता हैं। प्रार्थीगण द्वारा आवंटन के लगभग 11 वर्ष उपरान्त उक्त प्रा.पत्र पेश किया है व विलम्ब का समुचित कारण भी नही बताया गया है एवं न ही विलम्ब की अवधि को कण्ड़ोन किये जाने बाबत कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। बिना किसी समुचित आधार के आवंटन को निरस्त करना ''ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस'' होगा। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण के पिता का पी.डब्ल्यु.डी. मे कर्मचारी होने का उल्लेख किया है, किन्तु इसकी पुष्टि स्वरूप भी कोई दस्तावेज प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। विपक्षी स. 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण मे चस्पा होते हैं। इस प्रकार समस्त तथ्यों पर विवेचन उपरान्त कथित आवंटन मे कोई त्रुटि प्रथम दृष्ट्या परिलक्षित न होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन पाया जाने से खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4), कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है एवं मौजा बरोठी, तहसील सराड़ा की 1090 रकबा 0.1400 हेक्टेयर, 1091 रकबा 0.0200 हेक्टेयर एवं 1092 रकबा 0.2000 हेक्टेयर कुल किता 3 रकबा 0.3600 हेक्टेयर भूमि पर विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष मे किया गया आवंटन यथावत रखा जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.10.05 11:45:52 IST
Reason: SelfAttested

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर